न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 14 / 2022

तारीख दायर : 01.02.2022

अनवान

01 धर्मनारायण पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रार्थी

बनाम

01 सतार पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल के पीछे बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : **आदेश** : –

निर्णय दिनांक 23.02.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री धर्मनारायण पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की भूमि ग्राम किशनपुरियां पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 383 / 65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्ष आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी श्री धर्मनारायण पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरियां पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 383 / 65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 / – रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस 500 / –रू. प्रार्थी अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)